न्यायालय अति0 कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर(राजस्थान)

प्रकरण संख्याः– 01/2012 (धारा–3 राज0 गुण्डा नियन्त्रण अधि0 1975)

राजस्थान सरकार जरिये जिला पुलिस अधीक्षक, भरतपुर।

.....प्रार्थी

बनाम

कुमरपाल उर्फ कललड पुत्र श्री रामचरन उम्र 45 साल जाति जाटव निवासी कस्बा नदबई थाना नदबई जिला भरतपुर।

.....अप्रार्थी

इस्तगासा अंतर्गत धारा–3 राज0 गुण्डा नियन्त्रण अधि0 1975 विरूद्ध कुमरपाल उर्फ कललड पुत्र श्री रामचरन जाति जाटव निवासी कस्बा नदबई थाना नदबई जिला भरतपुर।

उपस्थित :

1. सहायक लोक अभियोजक।
2. श्री सुरेश माथुर वकील अप्रार्थी।

दिनांक : 13.04.2018

निर्णय

जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर द्वारा यह इस्तगासा अंतर्गत धारा–3 राज0 गुण्डा नियन्त्रण अधि0 1975 अप्रार्थी कुमरपाल उर्फ कललड पुत्र श्री रामचरन उम्र 45 साल जाति जाटव निवासी कस्बा नदबई थाना नदबई जिला भरतपुर। के विरूद्ध पत्र क्रमांक 1211 दिनांक 14.2.2012 के जरिये न्यायालय हाजा में प्रेषित किया गया है। अप्रार्थी के खिलाफ प्रस्तुत किये गये इस्तगासा में अंकित किया है कि अप्रार्थी कुमरपाल उर्फ कललड पुत्र श्री रामचरन उम्र 45 साल जाति जाटव निवासी कस्बा नदबई थाना नदबई जिला भरतपुर का निवासी है। जो एक बदमाश किस्म का व्यक्ति है एवं आदतन अपराधी है जिसके खिलाफ थाना हाजा पर आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होकर चालान न्यायालय पेश हुये हैं तथा न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है। यह व्यक्ति सार्वजनिक रूप से अपराध कर आम जनता व समाज को दूषित कर रहा है। अतः अप्रार्थी कुमरपाल उर्फ कल्लड की उक्त गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक होने से इस शख्स के खिलाफ धारा–3 राज0 गुण्डा नियन्त्रण अधि0 1975 के तहत कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। अप्रार्थी के आपराधिक रिकार्ड निम्नानुसार है–

क्र.	मु0न0	धारा	नतीजा पुलिस	नतीजा न्यायालय
1	552/98	13 RPGO		सजा 100 रू0 के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया दिनांक 5.11.2008
2	326/09	13 RPGO	223/2009	सजा 100 रू0 के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया दिनांक 1.8.2009
3	382/08	13 RPGO	235/2008	सजा 100 रू0 के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया दिनांक 16.10.2008
4		151 जा0 फौ0 में दिनांक 1.4.2011		दस–दस हजार रूपये के जमानत मुचलकों से छःमाह को पाबन्द श्रीमान एडीएम साहब नदबई द्वारा दिनांक 1.4.2011

इस्तगासा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को जरिये नोटिस तलब किया गया । साक्ष्य हेतु इस्तगासा में अंकित उपस्थित आये गवाहों के बयान दर्ज किये गये। नियत दिनांक 13.4.2018 को बहस समाअत की गई । एपीपी एवं वकील गैर सायल श्री सुरेश माथुर उपस्थित। बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया।

यह इस्तगासा जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर द्वारा पत्रांक 1211 दिनांक 14.2.2012 के जरिये प्रस्तुत करते हुये अप्रार्थी पर दायर वर्ष 1998, 2009, 2008 में आरपीजीओ के 3 मुकदमों जिनका सक्षम न्यायालय द्वारा निर्णय किया जाकर प्रत्येक मुकदमें में 100–100 रूपये का जुर्माना लगाया जाकर निर्णय किया गया है एवं एक प्रकरण 151 जा0फौ0 जिसमें दिनांक 1.4.2011 को पाबन्द किया गया है अंकित करते हुये अप्रार्थी के खिलाफ गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम के तहत कार्यवाही किये जाने हेतु पेश किया है। उपस्थित आये गवाहों के द्वारा इस्तगासा की ताईद करते हुये गैर सायल के विरूद्ध इस्तगासा में अंकित आरोपों की पुष्टि किया जाना स्वीकार किया है किन्तु अप्रार्थी के खिलाफ वर्तमान में या इस्तगासा में वर्णित मुकदमों के आलावा कोई अन्य मुकदमे दर्ज होने के बारे में जानकारी न होना व्यक्ति किया गया। अदालत हाजा के समक्ष राजकीय पक्ष की ओर से भी इस बाबत कोई पुष्टि नहीं की गई है। जबकि अपने वाद के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य सबूत पेश किये जाने का पूर्णरूपेण दायित्व वादी पर ही रहता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वर्ष 2011 के बाद गैर सायल के खिलाफ दायर एवं निर्णित मुकदमों के अलावा अन्य कोई नवीन प्रकरण दर्ज नहीं हुआ और न ही वर्तमान में कोई विचाराधीन है। यदि वर्तमान में गैर सायल के खिलाफ कोई नवीन प्रकरण दायर/विचाराधीन होता तो न्यायालय हाजा के समक्ष पेश किया जा सकता था। इसके अलावा न्यायालय हाजा से जारी पत्र क्रमांक 396 दिनांक 9.6.2015 की पुस्त पर महेन्द्रसिंह नं0 134 पुलिस थाना नदबई द्वारा गैर सायल के वर्तमानमान चालचलन के संबध में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं करते हुये चालचलन ठीक होना अंकित किया है साथ बार्ड पार्षद का चरित्र प्रमाण पत्र भी संलग्न किया गया है उसमें भी गैर सायल के खिलाफ को प्रतिकूल टिप्पणी न करते हुये चरित्र अच्छा बताया गया है। उपरोक्त सूची में अंकित दायर/निर्णित मुकदमों के अन्य कोई प्रकरण गैर सायल के खिलाफ दर्ज होने बाबत तथ्य अदालत हाजा के समक्ष पेश न किये जाने की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये तत्कालीन परिस्थितियों को वर्तमान में आधार बनाया जाना न्यायोचित नहीं रहता है। प्रकरण काफी पुराने है एवं तत्समय ही प्रकरणों का समक्ष अदालत द्वारा निर्णय किया जा चुका है अब चूंकि परिस्थितियां बदल गई हो सकती है, व्यक्ति की अपनी आदतों में परिवर्तन हो सकता है, और निरोध करने की आवश्यकता खत्म हो सकती है। ये तथ्य संबधित थानाधिकारी नदबई द्वारा की गई गैर सायल के वर्तमान चाल चलन की रिपोर्ट से स्पष्ट हो रहा है। राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम निरोधात्मक है न कि दण्डात्मक । इस प्रकरण में इस्तगासा में जो प्रकरण गैरसायल के खिलाफ अंकित किये गये है वे वर्ष 1998–2011 के है जिनका तत्समय ही सक्षम अदालत द्वारा निर्णय किया जा चुका है उनको आधार बनाया जाकर दिनांक 14.2.2012 को इस्तगासा पेश किया गया है। वर्तमान में अप्रार्थी के चालचलन बाबत ऐसा कोई तथ्य अदालत हाजा के समक्ष पेश नहीं किया गया जिससे उसके वर्तमान में भी आपराधिक प्रवृत्ति की निरन्तरता को माना जा सके। न्यायालय हाजा से जारी पत्र क्रमांक 393 दिनांक 9.6.2015 की पुस्त पर संबधित पुलिस थाने से प्राप्त रिपोर्ट यह साबित करती है कि गैर सायल का वर्तमान में चालचलन खराब नहीं है। ऐसी स्थिति में आज के हालातों को

नजर–अंदाज करते हुये करीब 20–21 साल पुराने मुकदमों को आधार बनाया जाकर गैर सायल के विरूद्ध राज0 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम के तहत कार्यवाही किया जाना उचित नहीं रहता है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार यह इस्तागासा वर्तमान परिस्थितियों के मध्यनजर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 13.4.2018 को सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official